मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ११७/२०१९,
१. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व. नरेन्द्र कुशवाहा उम्र ३४ वर्ष
२. अनिकेत कुशवाहा पुत्र स्व. नरेन्द्र कुशवाहा उम्र ०७ वर्ष नाबालिग
३. कृष्णा कुशवाहा पुत्र स्व. नरेन्द्र कुशवाहा उम्र ०३ माह नाबालिग
नाबालिगान जरिए माँ एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती पुष्पा देवी पत्न स्व. नरेन्द्र कुशवाहा उम्र ३४ वर्ष निवासियान खेरापुरा चिरगॉव तहसील मोंठ जिला झाँसी, उ.प्र.

------याचिया

प्रति

१. अनुराग पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम १३९ गढ़मऊ थाना बड़ागॉव तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.

..........चालक ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

२. राकेश कुमार साहू पुत्र श्री नन्दराम साहू निवासी ५२०/२ कोछाभाँवर, झाँसी तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.

.........पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

३. चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वितीय तल, ४ मेरीगोल्ड, शाहनजफ रोड, लखनऊ जरिए क्लेम इंजार्ज चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड-श्रीराम वाटिका हाउस नं. एस-१०/६ए-११, मकबूल आलम रोड, श्रीकान्त नगर कालोनी, वाराणसी जिला वाराणसी,उ.प्र.

........बीमाकर्ता ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री राकेश चन्द्र साहू
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

<u>०१.११.२०२०</u>

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचिया व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये।

याचिया व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २२बी पर याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २२बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में आज न्यायाधिकरण द्वारा वर्चुअल न्यायालय में तस्दीक किया गया। २२बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ८,००,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २२बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २२बी के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ८,००,००० याचीगण प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २२बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा २२बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २२बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचिया को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ८,००,००० (आठ लाख) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.एस.सी. सं. SYNB ०००९२३५ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दे। धनराशि अंतरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याचीगण मृतक के क्रमशः पत्नी व पुत्रगण हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ श्रीमती पुष्पा देवी क्रमशः ५० प्रतिशत धनराशि प्राप्त करेगी तथा याची सं. २ व ३ जो कि अवयस्क हैं वह उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक २५-२५ प्रतिशत धनराशि प्राप्त करेंगे। याची सं. १ व २ अवयस्कगण को प्राप्त होने वाली धनराशि उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके वयस्क होने तक के लिए किसी सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में रखी जावेगी जिसकी समस्त धनराशि वे वयस्क होने पर प्राप्त करेंगे तथा याचिया सं. १ को प्राप्त होने वाली उक्त धनराशि का २५ प्रतिशत भाग वह आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेगी तथा शेष ७५ प्रतिशत धनराशि की ५ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 17:05:56 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi